न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 205/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार (भूमिधारी) रियांबड़ी		1. शंकर पुत्र धुलाराम (फौत) के कायम मुकामान– 1/1– विजय कुमार पुत्र शंकरराम 1/2– गणेशराम पुत्र शंकरराम 1/3– रामूराम पुत्र शंकरराम जाति रेगर निवासी रूम नम्बर–41 चाल नम्बर–6 पहाड़ा नम्बर–2 शिव मंदिर के सामने ठक्कर बप्पा कॉलोनी चेम्बूर मुम्बई पीन–400071 पुत्र के मोबाईल नम्बर–8097356395 2. ओमप्रकाश पुत्र हजारीराम (फौत) के कायम मुकामान– 2/1– नरेश चन्द पुत्र ओमप्रकाश जाति रेगर, निवासी रूम नम्बर–41 चाल नम्बर–6 पहाड़ा नम्बर–2 शिव मंदिर के सामने ठक्कर बप्पा कॉलोनी चेम्बूर मुम्बई पीन–400071 मोबाईल नम्बर–9987740079 2/2– दिनेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति रेगर, निवासी रूम नम्बर–41 चाल नम्बर–6 पहाड़ा नम्बर–2 शिव मंदिर के सामने ठक्कर बप्पा कॉलोनी चेम्बूर मुम्बई पीन–400071 भाई के मोबाईल नम्बर–9987740079 2/3– महेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति रेगर, निवासी रूम नम्बर–41 चाल नम्बर–6 पहाड़ा नम्बर–2 शिव मंदिर के सामने ठक्कर बप्पा कॉलोनी चेम्बूर मुम्बई पीन–400071 भाई के मोबाईल नम्बर–9987740079

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थी संख्या–1/1 व 1/2 की ओर से वकील श्री अनिल गौड़। अप्रार्थी संख्या 1/3, 2/1, 2/2, एवं 2/3 उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक : 06/02/2020

प्रार्थी तहसीलदार रियांबड़ी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी घीसाराम के फौत हो जाने पर उसके कायममुकामान को रिकार्ड पर लिया गया, परन्तु **अप्रार्थी संख्या 1/3, 2/1, 2/2, एवं 2/3** ने सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

वकुलाय की बहस सुनी। राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि मौजा रियांबड़ी के साबिक खसरा नम्बर 1141, 1142 रकबा 10 बीघा भूमि धूलाराम पुत्र पालाराम जाति रेगर निवासी रियांबड़ी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी। धूलाराम पुत्र पालाराम को उक्त भूमि वर्ष 1971 में आंवटन हुई थी। अप्रार्थीगण धूलाराम पुत्र पालाराम के वारिसान होने से इन्हे पक्षकार बनाते हुऐ प्रार्थी द्वारा यह आवेदन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो खसरा गिरदावरी संवत् 2031–2071 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि पर काबित काश्त नहीं है, तथा मौके पर भूमि पड़त के रुप में हैं, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है जो पटवारी हल्का रियां बड़ी की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया है, जिसके कारण अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत निरस्त होने योग्य होने का कथन करते हुए अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी श्री अनिल गौड़ ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का आवंटन नियमानुसार अप्रार्थीगण को किया गया है एवं प्रार्थी का आवेदन मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम जमाबन्दी ग्राम रियांबड़ी संवत् 2031 से 2034 की नकल के अनुसार खसरा नम्बर 1141 व 1142 की 10 बीघा भूमि के संबंध में धूला पुत्र पाला कौम रेगर सा. देह गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। जमाबन्दी ग्राम रियांबडी के अनुसार ना.सं. 1662 से धूलाराम की बजाय शंकर पुत्र धूलाराम, ओमप्रकाश उर्फ मोडाराम पुत्र हजारी कौम रेगर सा0 देह गैर खातेदार का नाम स्वीकार हुआ है। पटवारी रियांबड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक रियांबड़ी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2015 के अनुसार शंकर पुत्र धुला, ओमप्रकाश उर्फ मोडाराम पुत्र हजारी कौम रेगर निवासी रियांबड़ी के नाम रकबा 1.62 हैक्टयर की संयुक्त खाते में गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपस्थित मौतबिरानों ने बताया कि उक्त शंकर व ओमप्रकाश गैर खातेदार का उक्त खसरा नम्बरों में मौके पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरियां संवत् 2036 से 2058 अन्य गिरदावरियों की नकलें से भी अप्रार्थी धूलाराम एवं अप्रार्थीगण द्वारा काश्त किया जाना साबित नहीं है। वकील अप्रार्थी श्री अनिल गौड़ ने अप्रार्थीगण का लगातार कब्जा काश्त होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वकील अप्रार्थी श्री अनिल गोड़ का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने का कथन है, तो उक्त संबंध में उक्त नियमों में आवेदन पत्र पेश करने हेतु मयाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला आवेदन स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में मौजा रियांबड़ी में अप्रार्थी धूलाराम पुत्र पालाराम जाति रेगर निवासी रियांबड़ी के नाम पर साबिका खसरा नम्बर 1141, 1142 में से रकबा 10 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर सरकारी तहवील में लिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 14:13:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: